परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण

5.1 निर्माण कार्य पंजिका तथा परिसम्पति पंजिका का गैर-अनुरक्षण

योजना दिशानिर्देश प्रावधान करते हैं कि जि.प्रा. सांसदों द्वारा अनुशंसित प्रत्येक कार्य की स्थिति को इंगित करते हुए निर्माणकार्य पंजिका तथा योजना निधियों से सृजित परिसम्पत्तियों तथा बाद में जिन्हें उपभोक्ता अभिकरणों को हस्तांतरित कर दिया गया था, की पंजिका का अनुरक्षण करेगें।

आठ राज्यों (मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दमन एवं दीव, जम्मू एवं कश्मीर, गोवा तथा असम) के 16 जि.प्रा. में निर्माणकार्य पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त पांच राज्यों/सं.शा.क्षे. (दादर एवं नागर हवेली, गुजरात,मध्यप्रदेश, उड़ीसा तथा पंजाब) के 22 जि.प्रा. में पंजिकाएं अपूर्ण थी।

इसी प्रकार, 31 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों[11] के 115 जि.प्रा. में (नमूने का 90 प्रतिशत) परिसम्पत्ति पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। परिसम्पति पंजिका की अनुपस्थिति में परिसम्पत्तियों का अभिरक्षण तथा अनुरक्षण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

मंत्रालय ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई हेतु जि.प्रा. से प्रत्येक मामले पर सूचना प्राप्त की जाएगी।

5.2 उपभोक्ता अभिकरण को परिसम्पत्तियां प्रदान करना/परिसम्पत्तियां का प्रयोग न करना

योजना दिशानिर्देश प्रावधान करते हैं कि जैसे ही निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है उसे तुरन्त ही उपभोक्ता अभिकरणों को हस्तांतरण कर देना चाहिए। जैसे ही निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है, परिसम्पत्तियों सृजित जन प्रयोग हेतु इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

सात राज्यों/सं.शा.क्षे. में, 2004-09 के दौरान किए गए 15,049 नमूना निर्माण कार्यों में से ₹ 251.91 करोड़ के 14,828 निर्माणकार्यों (98.53 प्रतिशत) के संदर्भ में परिसम्पत्तियों के औपचारिक कार्य सौंपना/कार्य अधिकार में लेना अभिलेखों में दर्ज नहीं था जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है। इन राज्यों/सं.शा.क्षे. में से छः में समाप्त किए गए किसी भी निर्माणकार्यों की

[11] आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चण्ड़ीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, दिल्ली, उत्तराखण्ड, पुदुचेरी, असम तथा झारखण्ड

परिसम्पत्तियों का उपभोक्ता अभिकरणों को हस्तातंरण से संबंधित दस्तावेजीकरण नहीं किया गया था।

तालिक 5.1: निर्माणकार्य जहां उपभोक्ता अभिकरणों को परिसम्पत्तियां सौंपना अभिलेखों में दर्ज नहीं था-

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	पूर्ण किए गए निर्माण कार्य (2004-09)	निर्माण कार्य जहां कार्य सौंपना अभिलेखों में दर्ज नहीं था	
			संख्या	लागत
1	अरूणाचल प्रदेश	336	336	14.74
2	आन्ध्र प्रदेश	7,352	7,352	100.55
3	असम	2,778	2,778	58.48
4	हरियाणा	1,696	1,696	24.93
5	झारखंड	1,921	1,921	31.07
6	मणिपुर	740	740	21.7
7	पुदुचेरी	226	5	0.44
योगः		**15,049**	**14,828**	**251.91**

(*स्त्रोत: जि.प्रा. के अभिलेखों से निकाला गया डाटा*)

औचारिक कार्य सौंपने के अभाव में वांछित उद्देश्य हेतु परिसम्पत्तियों का प्रयोग तथा उनका अनुरक्षण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इसके अतिरिक्त, पांच राज्यों (महाराष्ट्र, झारखंड, केरल, तमिलनाडु तथा दिल्ली) में 17 निर्माणकार्यों को ₹ 1.48 करोड़ की लागत पर सितम्बर 2006 तथा मार्च 2009 के बीच पूर्ण किया गया था, उन्हें उनके पूर्ण होने के बावजूद भी या तो उपभोक्ता अभिकरणों द्वारा प्रयोग में नहीं लाया जा रहा था या उन्हें उपभोक्ता अभिकरणों को सौंपा नहीं गया था जिसका ब्यौरा अनुबंध 5.1 में दिया गया है। ये परिसम्पत्तियां बिजली की कनैक्शन, जल आपूर्ति, उपयुक्त फर्श तथा साज-समान, कम्प्यूटर, उपभोक्ता अभिकरण की पहचान, अस्पताल कर्मचारी तथा उपकरण आदि के अभाव में प्रयोग में नहीं लाई जा सकी थी।

नगेरंगबम, इम्फाल, पश्चिमी मणिपुर स्थित सामुदायिक भवन
लागत: ₹ 0.03 करोड़
समापन की तिथि - 07 जून 2006
वर्तमान स्थिति - परिसम्पत्तियां किसी उपभोक्ता अभिकरण को नहीं सौंपी गई थी तथा जानवरों द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी

5.2.1 परिसम्पत्तियों का दुरूपयोग

लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच राज्यों के छः[12] जिलों में ₹ 1.48 करोड़ की लागत की सृजित की गई परिसम्पत्तियों का प्रयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था जिसके लिए उनकी संस्वीकृति की गई थी। इन्हें निजी न्यासों/समितियों द्वारा बैचलर आफ कम्प्यूटर एप्लिकेशन (बी.सी.ए.), बैचलर ऑफ कम्प्यूटर सांईस (बी.सी.एस.) पाठ्यक्रमों, अग्रेजी माध्यम विद्यालयों तथा समितियों के कार्यालयों आदि हेतु इस्तेमाल में लाया जा रहा था, जिनका ब्यौरा अनबंध 5.2 में दिया गया है।

मंत्रालय ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रत्येक मामले में परिसम्पत्तियों के दुरूपयोग पर सूचना जि.प्रा. से प्राप्त की जाएगी, जो मंत्रालय द्वारा स्वामित्व तथा मॉनीटरिंग के अभाव को दर्शाता है।

परिसम्पत्तियों के दुरूपयोग के उदाहरण टेरेथांग जूनियर होई स्कूल, सिक्किम

नव निर्मित कमरे का स्टाफ मनोरंजन कक्ष के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

पुराने जीर्ण कमरे का प्रयोग क्लास रूम के रूप में किया जा रहा है।

[12] नागपुर, पारभानी (महाराष्ट्र), वेलोर (तमिलनाडु), पूर्वी जिला (सिक्किम), शिलॉग (मेघालय) तथा देवघर (झारखण्ड)

5.3 परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण तथा रखरखाव हेतु बचनबद्धता

सां.स्था.क्षे.वि.यो. की रूपरेखा में जि.प्रा. द्वारा निर्माणकार्य की संस्वीकृति करने से पूर्व यह अपेक्षा की जाती है कि उपभोक्ता/लाभार्थी अभिकरणों के साथ योजना निधि में से सृजित परिसम्पत्तियों विशिष्ट उद्देश्यों हेतु लोगों के प्रयोग के बाद उनके अनुरक्षण हेतु एक समझौता किया जाए। तथापि 18 राज्यों/सं.शा.क्षे.[13] के 64 नमूना जांच किए गए जिलों (नमूने का 50 प्रतिशत) उपभोक्ता अभिकरण द्वारा परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु न तो कोई वचनबद्धता की गई थी और न ही संस्वीकृति आदेश जारी करने तथा कार्य शुरू करने से पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था।

5.3.1 परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण एवं रखरखाव

जि.प्रा. को संस्वीकृति तथा कार्य निष्पादन से पहले प्रस्तावित परिसम्पत्ति के रखरखाव एवं अनुरक्षण हेतु संबधित उपभोक्ता अभिकरण से अग्रिम में एक दृढ़ वचनबद्धता प्राप्त करनी होती है।

लेखापरीक्षा तथा जिला कार्यकार्णियों द्वारा नमूना जांच तथा संयुक्त भौतिक जांच ने उजागर किया कि तीन राज्यों /सं.शा.क्षे. में ₹ 0.45 करोड़ की लागत की चार परिसम्पत्तियों को कुशलता से प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त रूप से अनुरक्षित नहीं किया गया था जिसका विवरण अनुबंध 5.3 में दिया गया है। परिसम्पत्तियां जीर्ण अवस्था में थी तथा वहां सामग्रियों के चोरी के मामले भी थे तथा टयूबवैल तथा पानी के फव्वारे जैसी सुविधाएं भी अनुपयुक्त रखरखाव के कारण सही प्रकार से कार्य नहीं कर रही थी।

मंत्रालय ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई हेतु परिसम्पत्तियों के अनुपयुक्त अनुरक्षण के प्रत्येक मामले पर जि.प्रा. से सूचना प्राप्त की जाएगी।

अनुशंसाएं

- ***मंत्रालय को सा.स्था.क्षे.वि.यो. से सृजित परिसम्पत्तियों को मॉनीटर तथा ट्रैक करने हेतु एक प्रभावी तंत्र की स्थापना करनी चाहिए तथा उनका पहचान किए गए अभिकरणों को शीघ्र सूपूर्दिगी करनी चाहिए।***
- ***सां.स्था.क्षे.वि.यो. के निर्माणकार्यों के सौंपने के संबध में दस्तावेजीकरण तथा परिसम्पत्ति पंजिकाओं तथा निर्माणकार्य पंजिका जैसे अभिलेखों के अनुरक्षण को प्रभावी पर्यवेक्षण तथा मॉनीटरिंग द्वारा जि.प्रा. स्तर पर दुरस्त करना चाहिए।***

[13] आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं दीव, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, अरूणाचल प्रदेश तथा मणिपुर

- *मंत्रालय को जि.प्रा. तथा उपभोक्ता अभिकरण के बीच औपचारिक समझौते के प्रपत्र को तैयार करना चाहिए जिसमें परिसम्पत्तियों के प्रयोग का उद्देश्य का तथा परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु वचनबद्धताओं का प्रावधान हो। परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण में विफलता के लिए भी कुछ दाण्डिक कार्रवाई होनी चाहिए।*